भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 857

17 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री स्व निधि

857. श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री बी. मणिक्कम टैगोरः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री कुलदीप राय शर्माः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री आत्म निर्भर निधि (प्रधानमंत्री स्व निधि) योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने योजना को लागू करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है और योजना के तहत राज्य-वार कितने सड़क विक्रेताओं ने आवेदन किया और कितने सड़क विक्रेताओं को धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) कोविड-19 और लॉकडाउन के प्रभाव के कारण आय-विहीन हो जाने वाले सड़क विक्रेताओं को अपना कामकाज शुरू करने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 01 जून, 2020 को प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि स्कीम (पीएम स्वनिधि) आरंभ की थी । इसका उद्देश्य देश भर में लगभग 50 लाख पथ विक्रेताओं को 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए 10,000 रुपये तक के

संपार्श्विक मुक्त श्रमजीवी पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान करना है । इसमें ऋण के नियमित भुगतान पर 7% प्रति वर्ष ब्याज सब्सिडी और निर्धारित डिजिटल लेन-देन करने पर 100 रू. प्रति माह कैशबैक के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त, विक्रेता, समय पर या पूर्व भुगतान करने पर अधिक राशि के अगले श्रमजीवी पूंजीगत ऋण के पात्र होंगे । स्कीम प्रशासन के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ मिलकर सूचना प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से शुरू से अंत तक समाधान किया गया है । स्कीम के अंतर्गत ऋण प्रक्रमण 02 जुलाई, 2020 को प्रारंभ किया गया था ।

(ख): कार्यान्वयन एजेंसी**,** सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 19 जून**,** 2020 को हस्ताक्षर किए गए हैं। पथ विक्रेताओं को ऋण देने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि न्यास (सी.जी.टी.एम.एस.ई**)** के माध्यम से ऋणदाता संस्थानों को पोर्टफोलियो के आधार पर ग्रेडेड गारंटी कवर प्रदान किया गया है।

(ग): पीएम स्वनिधि स्कीम उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रेता का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना को अधिसूचित किया है। मेघालय का अपना राज्य पथ विक्रेता अधिनियम है और इस स्कीम में भाग लेने के लिए पात्र है। इसके अतिरिक्त, पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 को अभी तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है। तथापि, एक विशेष मामले के रूप में, इन दो संघ राज्य क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं को लाभ लेने की अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्रों में 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले आसपास के विकासशील/पर-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रेता का कार्य करने वाले विक्रेता इसके पात्र हैं। प्राप्त आवेदनों और संस्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा देते हुए यह विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है ।

(घ): उठाए गए अन्य कदमों में ऋणदाता संस्थानों और शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप आरंभ करना और आवेदन प्रक्रिया के साथ संस्तुति पत्र के लिए डिजिटल मॉड्यूल और सामान्य सेवा केंद्रों का एकीकरण शामिल है । इस स्कीम का लक्ष्य पथ विक्रेताओं को औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए डिजिटल भुगतान मंचों पर ऑनबोर्डिंग के माध्यम से उनकी क्रेडिट प्रोफाइल बनाने में सहायता करना है ।

17 सितंबर, 2020 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 857 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

15-09-2020 की स्थिति के अनुसार पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और संस्वीकृत ऋण का राज्य-वार ब्यौरा

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त आवेदनों की सं0	संस्वीकृत ऋणों की सं0	संस्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	128	83	0.083
2	आंध्र प्रदेश	63,927	17,661	17.622
3	अरूणाचल प्रदेश	731	324	0.323
4	असम	2,868	216	0.216
5	बिहार	23,921	4,732	4.296
6	चंडीगढ़	512	266	0.266
7	छत्तीसगढ़	8,363	2,067	2.058
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	775	262	0.261
9	दिल्ली	7,949	1,008	1.000
10	गोवा	323	155	0.155
11	गुजरात	95,849	39,411	39.240
12	हरियाणा	16,767	4,822	4.784
13	हिमाचल प्रदेश	1,027	536	0.535
14	जम्मू और कश्मीर	574	56	0.056
15	झारखंड	15,934	7,217	7.149
16	कर्नाटक	38,488	10,097	10.032
17	केरल	7,766	3,820	3.811
18	लद्दाख	4	0	0.000
19	मध्य प्रदेश	272,154	162,261	161.632
20	महाराष्ट्र	87,976	15,773	15.730
21	मणिपुर	2,740	526	0.524
22	मेघालय	25	1	0.001
23	मिज़ोरम	353	179	0.179
24	नागालैंड	39	4	0.004
25	ओडिशा	21,532	5,051	5.032
26	पुडुचेरी	975	80	0.079
27	पंजाब	5,243	1,361	1.217
28	राजस्थान	28,983	7,043	7.015
29	सिक्किम	3	0	0.000

30	तमिलनाडु	36,767	11,905	11.811
31	तेलंगाना	219,744	75,783	75.575
32	त्रिपुरा	1,357	130	0.130
33	उत्तर प्रदेश	228,260	44,557	44.195
34	उत्तराखंड	2,958	860	0.855
35	पश्चिम बंगाल	1,404	180	0.179
कुल		**1,196,419**	**418,427**	**416.044**